

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 18/440

भंवर लाल आत्मज श्री गणेश जाति माली निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी।
—अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी।
—रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री योगेश कुमार जोशी, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 09.08.2018

1. अपीलान्त द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, बून्दी जिला - बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्त को ग्राम रामपुरिया की आराजी खसरा नं. 35 रकबा.4.03 बीघा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी होने से 90 दिवस (तीन माह) के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 07.10.2015 द्वारा पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.05.2018 के द्वारा अपील अपीलांत खारिज कर दी।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अपीलान्त ने तावान शुल्क राशि भी जमा करवा दी है तथा वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।
4. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडन्ट को तलब किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।



